

झारखण्ड लोक सेवा आयोग
सर्कुलर रोड, राँची-834001

विज्ञापन

आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि :-05.08.2022

विज्ञापन संख्या :- 12/2022

निदेशक, गव्य विकास, झारखण्ड नियुक्ति परीक्षा।

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (पशुपालन प्रभाग) के अन्तर्गत निदेशक, गव्य विकास, झारखण्ड (गैर संवर्गीय) के एकल पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक भारतीय अर्हताधारियों (किसी राज्य सरकार, भारत सरकार अथवा इनके सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम की सेवा में कार्यरत पदाधिकारी) से विहित शर्तों एवं निर्देशों के अनुरूप विहित प्रपत्र में आवेदन-पत्र आमंत्रित किये जाते हैं, जो आयोग के वेबसाईट www.jpsc.gov.in पर उपलब्ध है।

1. पद का नाम – निदेशक, गव्य विकास
2. पद – स्थायी
3. वेतनमान – **PB-IV- 37,400-67,000 (Grade Pay – 8700/-)**
4. पदावधि – 05 वर्ष
5. अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता एवं अर्हता :-

(क) भारत अथवा विदेश के किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से गव्य विज्ञान (डेयरी टेक्नोलॉजी/डेयरी हसबैण्ड्री/डेयरी एनीमल साईंस) में स्नातकोत्तर डिग्रीधारी हो।

(ख) पूर्व अनुभव :-

अभ्यर्थी को किसी राज्य सरकार या भारत सरकार या इनके सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में पुनरीक्षित वेतन संरचना के अनुसार PB-III – 15600-39100 रु० – Grade Pay-7600/- के वेतनमान में कम से कम 3 वर्षों की सेवा का अनुभव अवश्य हो।

(ग) प्रशिक्षण और विशेषज्ञता :-

नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी अपनी बायोडाटा में अपने अनुभव और विशेषज्ञताओं का ब्यौरा देंगे, जिसे नियुक्ति के लिए चयन करते समय आयोग द्वारा अधिमानता दी जायेगी।

6. उम्र सीमा की संदर्भ तिथि :-01.08.2021

उम्र सीमा :- न्यूनतम 45 वर्ष एवं अधिकतम 57 वर्ष (सभी वर्ग के उम्मीदवारों के लिए)।

7. नियुक्ति हेतु चयन प्रक्रिया :- चयन झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित अन्तर्वीक्षा के आधार पर अनुशासित पैनल से की जाएगी। आयोग के Rules of procedure, 2002 के प्रावधानों के अन्तर्गत विभिन्न शैक्षणिक अर्हता, अनुभव एवं विशेषज्ञता के लिए अधिमानता एवं साक्षात्कार हेतु अंको का निर्धारण निम्नवत् है :-

शैक्षणिक अर्हता/अनुभव एवं विशेषज्ञता/साक्षात्कार	अंक
10 th या मैट्रिकुलेशन	10
12 th या इन्टरमीडियट	10
स्नातक	20
स्नातकोत्तर	20
प्रशिक्षण एवं विशेषज्ञता	20
साक्षात्कार	20
कुल	100

नोट:- (क) अभ्यर्थियों के मैट्रिकुलेशन, इन्टरमीडिएट, स्नातक एवं स्नातकोत्तर में प्राप्त अंकों के आधार पर उपर्युक्त में अंकित अंकों का निर्धारण संबंधित परीक्षा के लिए निर्धारित कुल पूर्णांक के विरुद्ध उनके द्वारा प्राप्त कुल प्राप्तांक के आधार निम्न में अंकित रीति के अनुसार किया जायेगा।

उदाहरण :-

प्राप्तांक (कुल प्राप्त अंक)

X संबंधित शैक्षणिक अर्हता के लिए निर्धारित अंक।

पूर्णांक (कुल अंक)

8. **परीक्षा शुल्क:-** परीक्षा शुल्क क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड/इंटरनेट बैंकिंग/चालान के माध्यम से SBI Collect पर स्वीकार किये जायेंगे, संबंधित सूचना आयोग के वेबसाइट www.jpsc.gov.in पर उपलब्ध है।

- अनारक्षित, (EWS) आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों का वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-I) एवं पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-II) श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए परीक्षा शुल्क रू0-600 (छः सौ) + बैंक चार्ज मात्र है।
- झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिये परीक्षा शुल्क रू0-150/- (एक सौ पचास) + बैंक चार्ज मात्र है। इस रियायती (concessionary) दर पर परीक्षा शुल्क भुगतान करने के लिए झारखण्ड सरकार द्वारा अद्यतन जाति प्रमाण पत्र की प्रति भरा हुए आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक है। अन्य राज्यों एवं केन्द्रशासित प्रदेशों के अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति कोटि के अभ्यर्थियों द्वारा रियायती दर पर परीक्षा शुल्क भरे जाने की स्थिति में उनके आवेदन पत्र को रद्द करते हुए उनकी अभ्यर्थिता समाप्त कर दी जायेगी।
- झारखण्ड राज्य के निःशक्त अभ्यर्थियों (कम से कम 40 प्रतिशत संगत निःशक्तता) को परीक्षा शुल्क में पूर्ण छूट है। मेडिकल बोर्ड द्वारा निर्गत निःशक्तता प्रमाण पत्र की प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक है।
- बिना परीक्षा शुल्क भुगतान किये आवेदन पत्र (उपर्युक्त कडिका-III में वर्णित अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र को छोड़) स्वीकार नहीं होंगे और वे रद्द किये जायेंगे। परीक्षा शुल्क अप्रतिदेय (Non Refundable) होगा।

नोट :- अभ्यर्थी को उपर्युक्त परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त विभिन्न बैंकों द्वारा निर्धारित चार्ज भी देना होगा, जिसे ऑनलाईन भुगतान के क्रम में बैंक द्वारा स्वतः बैंक चार्ज के रूप में ले लिया जायेगा।

9. **आवेदन पत्र भरने हेतु आवश्यक शर्त एवं निर्देश :-**

- अभ्यर्थी विज्ञापन में निहित शर्तों एवं निर्देशों के अनुरूप विहित प्रपत्र में आवेदन भरेंगे। इसमें किसी प्रकार की गलत सूचना दर्ज करने, सूचना छूट जाने या आंशिक सूचना दर्ज करने पर इसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जवाबदेह होंगे। गलत या अर्धसत्य सूचना पाये जाने पर अभ्यर्थिता पर अंतिम रूप से निर्णय लेने का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित रहेगा।
- अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में किए गए दावे के समर्थन में सभी वांछित प्रमाण पत्रों की स्व-अभिप्रमाणित पठनीय प्रति यथा:-

- मैट्रिक प्रमाण-पत्र एवं अंक पत्र की छायाप्रति।
- इंटरमीडिएट प्रमाण-पत्र एवं अंक पत्र की छायाप्रति।
- स्नातक प्रमाण-पत्र एवं अंक पत्र की छायाप्रति।
- विज्ञापित पद से संबंधित शैक्षणिक अर्हता गव्य विज्ञान (डेयरी टेक्नोलॉजी / डेयरी हसबैण्ड्री / डेयरी एनीमल साईंस) में स्नातकोत्तर संबंधी प्रमाण-पत्र एवं अंक पत्र की छायाप्रति।

- (v) राज्य सरकार या भारत सरकार या इनके सार्वजनिक उपक्रम में पुनरीक्षित वेतन संरचना के अनुसार PB - III 15,600-39,100 ग्रेड वेतन रू0-7600/- के वेतनमान में कम से कम तीन वर्षों का सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत कार्यानुभव प्रमाण पत्र की छायाप्रति।
- (vi) जाति प्रमाण पत्र (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिये) की छायाप्रति (जहाँ लागू हो)।
- (vii) विकलांगता प्रमाण पत्र की छायाप्रति (जहाँ लागू हो)।
- आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक है।
- (ग) आवेदन पत्र में वर्णित सभी प्रमाण-पत्र यथा, शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र, अंक पत्र एवं कार्यानुभव संबंधी प्रमाण पत्र साक्षात्कार के समय मूल रूप से प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उक्त निर्देश का अनुपालन नहीं करने वाले अभ्यर्थियों की अर्हता के संबंध में निर्णय लेने हेतु आयोग स्वतंत्र होगा।
- (घ) आवेदक यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी वांछित प्रमाण-पत्र मूल रूप में उनके पास आवेदन भरते समय उपलब्ध है।
- (ङ) आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर को छोड़कर अंग्रेजी के बड़े अक्षरों (BLOCK LETTERS) में ही आवेदन पत्र भरा होना चाहिए।
- (च) आवेदक अपना नाम, पिता के नाम की वर्तनी (Spelling) वही लिखेंगे, जो मैट्रिक के सर्टिफिकेट/अंक-पत्र में अंकित है।
- (छ) जन्म तिथि-आवेदक के मैट्रिक प्रमाण पत्र/अंक पत्र में, जो उनकी जन्म तिथि अंकित यथा तिथि, महीना और वर्ष है वही आवेदन पत्र में यथा निर्धारित स्थान पर भरें।
- (ज) चयन प्रक्रिया बिना कारण बताये किसी भी समय स्थगित या रद्द करने का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित रहेगा।
- (झ) आवेदन पत्र किसी भी परिस्थिति में अस्वीकृत होने पर शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।
- (ञ) अभ्यर्थियों का परीक्षा शुल्क आयोग को विहित माध्यम से प्राप्त नहीं होने की स्थिति में आवेदन रद्द किया जा सकता है। इस बिन्दु पर आयोग का निर्णय अंतिम होगा।
- (ट) आवेदक द्वारा अपने आवेदन में दी गई सूचनाओं एवं किसी भी स्तर पर जाँच के क्रम में यदि कोई गलत सूचना या तथ्य अंकित करने/छिपाने का प्रमाण मिलता है तो आयोग ऐसे आवेदकों की अभ्यर्थिता रद्द करने के लिए स्वतंत्र होगा।
- (ठ) कदाचार (Misconduct) के निम्न मामलों में अभ्यर्थी के विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है।

Candidates are warned that they should not furnish any particulars that are false or suppress any material information in filling up the application form. Candidates are also warned that they should in no case correct or alter or otherwise temper with any entry in a document otherwise temper with any entry in a document or its attested/certified copy submitted by them nor should they submit a tampered/fabricated document. If there is any inaccuracy or any discrepancy between two or more such documents or their attested/certified copies, an explanation regarding this discrepancy should be submitted. A candidate who is or has been declared to be guilty of :

- (a) Obtaining support of his/her candidature by any means, or
- (b) Impersonating, or
- (c) Procuring impersonation by any person, or
- (d) Submitting fabricated documents or documents which have been tempered with, of
- (e) Making statements which are incorrect or false or suppressing material information, or
- (f) Resorting to any other irregular or improper means in connection with his/her candidature for the selection, or
- (g) Using unfair means during the test, or

- (h) Writing irrelevant matter including obscene language or pornographic matter, sketch in the script, or
- (i) Misbehaving in any other manner in the examination hall, or
- (j) Harassing or doing bodily harm to the staff employed for the conduct of their test, or
- (k) Bringing mobile phone/communication device in the examination Hall/interview room.
- (l) Attempting to commit or, as the case may be, abetting the Commission of all or any of the acts specified in the forgoing clauses may, in addition to rendering himself/ herself liable to criminal prosecution be liable:
 - (i) To be disqualified from selection for which he/she is a candidate, and/or
 - (ii) To be debarred either permanently or for a specified period:-
 - (iii) Canvassing in any form will disqualify a candidate.

10. अंतिम तिथि:-

- (क) पूर्णतः भरे हुए आवेदन पत्र के साथ कंडिका-9(ख) में वर्णित सभी वांछित प्रमाण पत्रों/अभिलेखों की स्वहस्ताक्षरित प्रति बंद लिफाफे में जिसके उपर विज्ञापन संख्या एवं पद का नाम अंकित हो, केवल स्पीड-पोस्ट/निबंधित डाक द्वारा आयोग कार्यालय (पता-परीक्षा नियंत्रक, झारखण्ड लोक सेवा आयोग, सर्कुलर रोड, राँची-834001) में प्राप्ति की अंतिम तिथि-05.08.2022 तक होगी।
- (ख) अन्य किसी भी माध्यम से भेजे गये आवेदन-पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे। अंतिम तिथि के बाद प्राप्त होने वाले आवेदन अस्वीकृत कर दिए जायेंगे तथा इसके लिए आयोग किसी भी रूप में जिम्मेवार नहीं होगा।

ह0/-
सचिव,
झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची।